

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24102020-222730 CG-DL-W-24102020-222730

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अक्तूबर 11—अक्तूबर 17, 2020, शनिवार / आश्विन 19 —आश्विन 25, 1942 No. 32] NEW DELHI, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2020, SATURDAY/ASVINA 19— ASVINA 25, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम,2009 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

4729 GI/2020 (935)

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से जीव-विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान में दो वर्ष का डिप्लोमा; (iii) भारतीय दंत परिषद में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के रूप में रजस्ट्रीकृत; अनिवार्य अनुभव: किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञानी के रूप अस्पताल में दंत स्वास्थ्य चिकित्सा	आयु: लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	परामर्श आवश्यक
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ	निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:	नहीं ।
राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या	(i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;	
मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टरों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के	(ii) विभागाध्यक्ष, दंत, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	
ऐसे अधिकारी:	(iii) उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य ।	
(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में		
नियमित आधार पर सदृश पद		
धारण किए हुए हैं; या		
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग		
में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5		
(29200-92300) में नियुक्ति के		
पश्चात् उस ग्रेड में छह वर्ष की		
नियमित सेवा की हो या		
समतुल्य; और		
(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती		
किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए		
विहित शैक्षिक अर्हताएं और		
अनुभव रखते हों।		
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि		
(अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत		

केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक संविदा सिहत) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. ए.11018/20/2006-आरआर]

प्रेम नारायण,अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th October, 2020

- **G.S.R.** 145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Dental Hygienist, Group 'C' post) Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dental Hygienist in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
 - 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Dental Hygienist (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection
				post or non-
				selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dental	02* (2020)	General Central Service,	Level 6 in the pay	Not applicable.
Hygienist.	*Subject to variation	Group 'B', Non-	matrix (Rs. 35400-	
	depending on workload.	Gazetted, Non-	112400).	
		Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years. Relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by central government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i) 12th class pass with Biology as a subject from a recognised Board or institute; (ii) two years Diploma in Dental Hygienist from a recognised institute; (iii) registered with Dental Council of India as Dental Hygienist; Essential Experience: Three years' experience as Dental Hygienist in a recognised Hospital.	Age: Not applicable Educational Qualifications: Not applicable.

		T
Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
	to be filled by various methods	
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits	Deputation including short	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty -six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not necessary.
1. Additional Medical Superintendent,	
Safdarjung Hospital -Chairman;	
2. Head of the Department, Dental,	
Safdarjung Hospital -Member;	
3. Deputy Director (Administration),	
Safdarjung Hospital -Member.	

[F.No. A.11018/20/2006-RR]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सा.का.िन. 146.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल चिकित्सालय (समूह- घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक इनका संबंध सफाईवाला/सफाईवाली, चौकीदार/पहरेदार, माली, चपरासी/डाक रनर, दरबान, जमादार/सुपरवाइज़र, दफ्तरी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद(समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।